Kanker O/C

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

cefkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/त.अ./2025/80 कांकेर, दिनांक 08/01/2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषयः– **आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.119 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव। <u>ऑनलाईन पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/87496/2020</u>**

संदर्भः– **1. आपका पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–882/3023 दिनांक 23.12.2024**
2. वन मण्डलाधिकारी कांकेर के पत्र क्रमांक/मा.चि./2024–25/21 दिनांक 2.1.2025

—००—

विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर–मानपुर, कांकेर–डोमपदर, पुरियारा–विश्रामपुरी, चाराम–नरहरपुर, आमाबेड़ा–कोरर, कोरर–मालगांव तथा कांकेर– पुरियारा सड़क किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.502 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.242 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे कुल रकबा 2.119 हे. में गैर वानिकी कार्य के उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक/एफ 5–22/2023/10–2 दिनांक 12.12.2024 द्वारा अंतिम चरण की स्वीकृति जारी किया गया है।

अंतिम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पृथक–पृथक बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर वन मण्डलाधिकारी कांकेर वनमंडल ने अपने संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	अधिरोपित शर्त क्रमांक	विवरण
1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–01**
2.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–02**
3.	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाऐंगे ।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–03**
4.	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–04

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
15/01/25

क्र.	अधिरोपित शर्त क्रमांक	विवरण
	उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा । यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जायें कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना [illegible]	
5.	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वन मण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–05
6.	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभयारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जाएगी ।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–06
7.	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात् उपयोग किए गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–07
8.	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा अतः [illegible]	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–08
9.	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य [illegible]	[illegible]
10	वन भूमि [illegible]	[illegible] है। संलग्नक–10
11.	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–11
12.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे ।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–12
13.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–13

क्र.	अधिरोपित शर्त क्रमांक	विवरण
	(भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे ।	
14.	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–14

अतः प्रकरण में वनमंडलाधिकारी कांकेर के द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित पालन प्रतिवेदन 03–03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– पालन प्रतिवेदन 03–03 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/त.अ/2025/81
प्रतिलिपि :–

कांकेर, दिनांक/08/01/2025

1. वन मण्डलाधिकारी कांकेर वनमंडल को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मेसर्स महाप्रबंधक, (कॉर्पो.अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, चौथी मंजिल, ऑफिस नं. 401–405 अबुंजा मॉल रायपुर छ.ग.को सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone - 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail dfoknk@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2024–25/21 — कांकेर,दिनांक 02/01/2025

प्रति

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय :– उत्तर–बस्तर कांकेर जिले के कांकेर वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.119 हे. वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि व्यपवर्तन की अंतिम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन।

संदर्भ :– (1) छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5–2/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.12.2024 ।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ का पत्र पृ.क्र/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–882/3024 दिनांक 23.12.2024 |

(3) महाप्रबंधक (कार्पो.अफेयर्स), जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र./जिडिफाप्रालि/ओएफसी/वनभूमि/स्टेज–2/2024 दिनांक 26.12.2024

— —00— —

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त कांकेर

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक (1) के माध्यम से छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उत्तर–बस्तर कांकेर जिले के कांकेर वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.199 हे. वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि उपयोग पर देने हेतु अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक (2) के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के निर्देशानुसार अंतिम चरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप आवेदक विभाग से प्राप्त 01 से 14 बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित 5 प्रतियों में मय वचन पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है :–

क्रमांक	शर्ते	पालन प्रतिवेदन
01	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएँगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

Conservator of Forest, Kanker Circle
NO. 107
Date 8/1/25

04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा । यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजुदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जायें कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति ना हो।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
05	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वन मण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
06	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभयारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही बिछाई जाएगी ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
07	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात् उपयोग किए गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
08	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
09	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

11	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (फ्लोरा & फौना) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

संलग्न :– **पालन प्रतिवेदन 0[illegible] प्रतियों में**

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वनमंडल कांकेर

पृष्ठाकन क्रमांक/मा.चि./2024–25/22 **कांकेर,दिनांक 02/01/2025**

प्रतिलिपि :–

01.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) कार्यालय ,प्रधान मुख्य वन संरक्षक,अरण्य भवन,सेक्टर–19,नार्थ ब्लॉक,नवा रायपुर,अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

02.महाप्रबंधक (कार्पो.अफेयर्स), जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
कांकेर वनमंडल कांकेर

क्रमांक/जिडिफाप्रालि/ओएफसी/वनभूमि/स्टेज–2/2024 रायपुर, दिनांक : 26.12.2024

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल कांकेर, कांकेर
जिला – उत्तर–बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़).

विषय : उत्तर–बस्तर कांकेर जिले के कांकेर वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.119 हे. वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि व्यपवर्तन की अंतिम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन ।

संदर्भ : (1) छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5–2/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.12.2024 ।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ का पत्र पृ.क्र/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–882/3024 दिनांक 23.12.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक (1) के माध्यम से छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उत्तर–बस्तर कांकेर जिले के कांकेर वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.199 हे. वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि उपयोग पर देने हेतु अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक (2) के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के निर्देशानुसार अंतिम चरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन 5 प्रतियों में मय वचन पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

क्रमांक	शर्तें	पालन प्रतिवेदन
01	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएँगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे,	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी ... 26-12-24

	इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा । यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जायें कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति ना हो।	
05	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वन मण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
06	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभयारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही बिछाई जाएगी ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
07	आवेदक संस्थान. उपयोग पश्चात् उपयोग किए गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
08	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
09	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
11	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

4th Floor, Office Block, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-492014

Office Phone No. : 0771-3557701

Jio Digital Fibre Private Limited: CIN U64200GJ2018PTC105652

Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India.
Tel no: 079-35600100

12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

संलग्न :– संदर्भित पत्र एवं वचन पत्र 5 प्रतियों में ।

(अमित कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्र/व (सं. एवं सं.) अ) छत्तीसगढ़ को उनके पृ. क्र/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–882/3024 दिनांक 23.12.2024 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित